न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/22/2018	10–05–2018	18–12–2018

1–रमेश चन्द पुत्र स्व0 रामदयाल जाति खत्री
2–घनश्याम पुत्र स्व0 रामदयाल जाति खत्री
3–हरीश कुमार पुत्र स्व0 रामदयाल जाति खत्री
4–प्रेम कुमार पुत्र स्व0 रामदयाल जाति खत्री निवासीयान ग्राम सहनपुरी तहसील अलवर हाल निवासी मकान संख्या 3597 गली संख्या 1 जवाहर नगर कॉलोनी वार्ड संख्या 5 सैक्टर संख्या 22 फरीदाबाद (हरियाणा)।
5–ओमप्रकाश पुत्र पुत्र स्व0 रामदयाल जाति खत्री निवासी ग्राम सहनपुरी तहसील व जिला अलवर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–मदनलाल पुत्र पुत्र स्व0 रामदयाल जाति खत्री निवासी ग्राम सहनपुरी तहसील अलवर हाल निवासी मकान संख्या 2 डी 65 वार्ड संख्या 11 फरीदाबाद (हरियाणा)।

–रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 05.05.1993 नामान्तकरण संख्या 11 ग्राम सहनपुरी तहसील व जिला अलवर।

उपस्थितः–
01. श्री दलेर सिंह

–वकील अपीलान्टस

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 05.05.1993 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 11 ग्राम सहनपुरी तहसील व जिला अलवर बेजा तौर पर गलत स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई। रैस्पोडेण्ट अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हम अपीलांट्स व रैस्पोडेंट्स के पिता श्री रामदयाल पुत्र मूलचन्द ग्राम सहनपुरी तह0 अलवर के खातेदार काश्तकार थे। जिनका स्वर्गवास बन्दोबस्त के दौरान हो गया था। जिनका इंतकाल विरासत संख्या 11 खोला गया जो दिनांक 05.05.1993 को हम अपीलांट्स को बताये बिना तस्दीक कर दिया गया। उस समय रैस्पो0 मदनलाल गांव में मौजूद था जिसने हम अपीलांट्स को यह जानकारी दी कि उसने सभी भाईयों व माताजी के नाम इंतकाल तस्दीक करा दिया है। हम अपीलांट्स इसी विश्वास में रहे कि हमारे पिताजी का इंतकाल सही प्रकार से सभी भाईयों के नाम तस्दीक हो गया होगा। वक्त तस्दीक इंतकाल हम अपीलांट्स फरीदाबाद में निवास करते थे तथा वर्तमान में भी फरीदाबाद में निवास कर रहे है। हमारी माताजी श्रीमति लाली देवी का स्वर्गवास होने पर हम अलवर आये तब हमें कागजात की नकल प्राप्त की तो हमें सर्वप्रथम दिनांक 16.04.2018 को यह पता लगा कि हमारा नाम इंतकाल में सही प्रकार से दर्ज नहीं किया गया है। इंतकाल में हमारा बोलता नाम दर्ज किया गया है। जिस पर हमने इंतकाल की नकल प्राप्त की तथा बिना देरी के अपील दायर की गयी हैं। उक्त अवधि की देरी के लिए दफा 5 मियाद अधि0 प्रार्थना–पत्र पृथक से पेश किया गया है। विवादित इंतकाल में मिन अपीलांट संख्या 1 का नाम मंशीराम व अपीलांट संख्या 2 धनुराम, अपीलांट संख्या 3 का नाम

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

हरिराम, अपीलांट संख्या 4 का नाम प्रेम, अपीलांट संख्या 5 का नाम पप्पूराम गलत तौर पर दर्ज किया गया है। जबकि अपीलांट्स के वास्तविक सही नाम क्रमशः रमेशचन्द, घनश्याम, हरिश कुमार, प्रेम कुमार व ओमप्रकाश है। हमारे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजात् राशनकार्ड, आधार कार्ड में भी उपरोक्तानुसार नाम दर्ज है किन्तु विवादित इंतकाल में हमारे नाम बोलते नाम दर्ज कर दिये। जिसे दुरूस्त फरमाया जाना न्यायहित में है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर गलत नामों को दुरूस्त फरमाते हुए हमारा सही नाम क्रमशः रमेशचन्द, घनश्याम, हरिश कुमार, प्रेम कुमार व ओमप्रकाश पुत्रान् स्व0 श्री रामदयाल जाति खत्री निवासी सहनपुरी दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 05.05.1993 के विरूद्ध दिनांक 27.04.2018 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 25 वर्ष से अधिक समय विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि असाधारण नही है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट्स के पत्रावली में संलग्न आधार कार्ड की प्रतियों का अवलोकनं किया गया। अवलोकन से अपीलांट्स के नाम रमेशचन्द, घनश्याम, हरिश कुमार, प्रेम कुमार व ओमप्रकाश पाये गये है।

अतः अपील अपीलांट्स तहसीलदार, अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाता है कि अपीलांट्स को सुनकर एवं दस्तावेजों का पूर्ण परीक्षण कर विधिसंवत् निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18–12–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)